दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
प्रधान कार्यालय: ए-25/27, आसफ अली रोड, नई दिल्ली - 110002

दायित्व बीमा पॉलिसी

(जन दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के अंतर्गत)

1. प्रचालन क्लॉज़:-

जबकि अनुसूची में नामित बीमाकृत मालिक और जो उक्त अनुसूची के विवरण के अनुसार कारोबार करता है, ने **दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**, (जिसे इसके बाद कंपनी कहा जाएगा) के साथ क्षतिपूर्ति, जिसे इसके बाद शामिल किया गया है, के लिए आवेदन किया है तथा लिखित रूप में प्रस्ताव तथा घोषणा की है, जो इस करार का आधार होगी और जिसे अब इसमें समाविष्ट समझा जाएगा और जिसने प्रीमियम अदा कर दिया है तथा जनदायित्व बीमा अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण राहत कोष के लिए संवैधानिक अंशदान किया है।

अब यह पॉलिसी इस बात की साक्षी है कि इसमें वर्णित शर्तों, अनुबंधों तथा अपवर्जनों तथा परवर्ताकाल में किए गए पृष्ठांकनों के आधीन, बीमाकृत मालिक की खतरनाक वस्तुओं के व्यवहार से हुई दुर्घटना के फलस्वरूप उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार संवैधानिक दायित्वों की क्षतिपूर्ति करेगा।

2. परिभाषाएं:-

क) '**अधिनियम**' जब तक अन्यथा विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया जाए, अधिनियम से तात्पर्य जन दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 से होगा।

ख) '**दुर्घटना**' से तात्पर्य उन दुर्घटनाओं से होगा जो जोखिमी वस्तुओं के व्यवहार (हैंडलिंग) के समय अचानक, अनजान में और आकस्मिक होंगी जिसके परिणामस्वरूप कोई व्यक्ति घायल अथवा नियमित या अनियमित अंतराल पर मृत्योन्मुखी हो अथवा किसी संपत्ति को नुकसान हो, लेकिन इसमें केवल युद्ध या विकिरण के परिणामस्वरूप दुर्घटना नहीं शामिल होगी।

ग) '**व्यवहार**' जोखिमी वस्तु संबंधित व्यवहार का मतलब, जोखिमी वस्तु के निर्माण, संसाधन, प्रतिपादन पैकिंग, संचयन, वहन द्वारा परिवहन, प्रयोग, संग्रह विनाश, रूपांतरण, विक्रय, स्थानांतरण या इस तरह के अन्य कार्य हैं।

घ) **जोखिम** युक्त वस्तुओं व समूह से अर्थ जन दायित्व बीमा अधिनियम 1991 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध मदें हैं।

ङ) '**मालिक**' से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी जोखिमी वस्तु या स्वामी हो अथवा दुर्घटना के समय जोखिम वस्तु के व्यवहार पर नियंत्रण हो जिसमें निम्न शामिल होंगे:

1. किसी संस्था के प्रकरण में उसका कोई हिस्सेदार,
2. किसी संघ के प्रकरण में उसका कोई सदस्य और
3. किसी कंपनी के प्रकरण में उसका कोई निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी जो कंपनी के व्यवसाय के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी हो तथा उसका प्रत्यक्ष प्रभारी हो।

च) '**टर्न-ओवर'** से तात्पर्य

1. उत्पादक इकाई सभी लेवी तथा कर समेत सभी वस्तुओं का वार्षिक सकल विक्रय।
2. गोदाम/वेयरहाऊस के मालिकों की कुल वार्षिक किराए की रसीदें।
3. अन्य - वार्षिक सकल रसीदें।

3. **<u>अपवर्जन</u>**:-

यह पॉलिसी निम्न दायित्वों को आवरित नहीं करती है:

1. किसी संवैधानिक प्रावधान का जानबूझ कर या निश्चित उद्देश्य से अनुपालन न किए जाने के फलस्वरूप दायित्व।
2. फाईन, पेनॉल्टी, दंडनीय और या निवारक (एक्जेंपलरी) क्षतियों का दायित्व।
3. अधिनियम के खंड 8, उपखंड(1) और (2) में किए गए प्रावधानों के अतिरिक्त किसी अन्य विधान के फलस्वरूप दायित्व।
4. बीमाकृत व्यक्ति के स्वामित्व, लोन, किराए व किराया खरीद या ऋण के या अन्यथा बीमाकृत व्यक्ति के नियंत्रण, देखभाल या परिरक्षण में संपत्ति की हुई क्षति के संबंध में दायित्व।
5. युद्ध, आक्रमण, विदेशी शत्रु के कृत्य, युद्धस्थिति (चाहे युद्ध घोषित हुआ हो या नहीं) गृहयुद्ध, विद्रोह, क्रांति सेना की बगावत या सत्ता को छिनने की प्रक्रिया के द्वारा या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दायित्व।
6. निम्न के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष कारण से या अंशदान के फलस्वरूप दायित्व।
   क) आयनीकरण, विकिरण, आणविक ईंधन या आणविक ईंधन के जलाए जाने के बाद अवशेषों की रेडियोधर्मिता के कारण प्रदूषण के फलस्वरूप दायित्व।

ख) किसी विस्फोटक आणविक संयोजन या आणविक संघटक की रेडियोधर्मी विषाक्ता विस्फोटक अन्य जोखमी गुणों के कारण दायित्व।

4. **शर्तें**:-

1. जैसे कि बीमाकृत व्यक्ति के विरूद्ध औचित्यपूर्ण व्यवहार्य कोई दावा प्रस्तुत किया जाता है या कोई विशिष्ट घटना अथवा परिस्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें कोई दावा उत्पन्न हो सकता है तो उसकी सूचना बीमाकृत व्यक्ति लिखित रूप से कंपनी को देगा। बीमाकृत व्यक्ति जिलाधीश द्वारा अप्रेषित आवेदन/आवेदनों की सूची को प्रति या ऐसी सभी अतिरिक्त जानकारियों और/या सहायता जिसकी कंपनी को आवश्यकता हो तत्काल कंपनी को उपलब्ध करायेगा।

2. कंपनी को लिखित स्वीकृति के बिना बीमाकृत व्यक्ति द्वारा या उसकी तरफ से कोई स्वीकृति, प्रस्ताव, वादा या भुगतान नहीं किया जाएगा।

3. दुर्घटना के घटित होने के पांच वर्षों के पश्चात् राहत के लिए किए गए किसी दावों के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी।

4. बीमाकृत व्यक्ति वार्षिक टर्नओवर का अभिलेख रखेगा तथा बीमा नवीकरण के समय कंपनी की आवश्यकतानुसार ऐसे टर्नओवर और साथ अन्य ब्यौरों की घोषणा करेगा। कंपनी सभी यथोचित समय पर अभिलेखों को मंगवाने और परीक्षण का अधिकार रखेगी।

5. किसी दुर्घटना के होने पर, जिससे इस पॉलिसी के अधीन दावा हुआ हो और उस दायित्व को आवरित करने के लिए कोई और भी बीमा हो, तो कंपनी उक्त दायित्व के अपने अनाकलनीय अनुपात से अधिक के भुगतान या अंशदान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

6. बीमाकृत व्यक्ति द्वारा कंपनी को 30 दिनों की लिखित नोटिस देकर पॉलिसी को निरस्त किया जा सकता है, ऐसे प्रकरण में कंपनी कम अवधि अनुपात पर प्रीमियम रख लेगी, बशर्ते पॉलिसी अवधि में कोई ऐसी दुर्घटना न हुई हो जिससे कि दावा किया जा सके, अन्यथा प्रीमियम की वापसी संभव नहीं होगी।

7. यदि कंपनी किसी दावे के दायित्व को अस्वीकार करती है और ऐसी अस्वीकृति को तारीख 12 कैलेंडर माह के अंदर ऐसे दावे को किसी सक्षम विधि न्यायालय में मुकदमें का मामला नहीं बनाया जाता तो सभी व्यवहार्य उद्देश्यों से दावे को अपवर्जित समझा

जाएगा, तत्पश्चात् इसके अधीन यह वसूली योग्य नहीं होगा, या उसे किसी मुकदमें का विषय नहीं बनाया जा सकेगा।

8. कंपनी ऐसे किसी भी दावे के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी जो किसी भी तरह छल पूर्ण या धोखाधड़ी पूर्ण होगा। बीमाकृत व्यक्ति के किसी व्यक्ति द्वारा समर्थित होगा और/या बीमाकृत व्यक्ति की ओर से किसी तथ्यपरक जानकारी की घोषणा किए बिना अथवा किसी तथ्य के गलत विवरण के परिणामस्वरूप सीमा जारी रखी गई हो। ऐसे मामले में यदि कंपनी किसी राशि का दावाकर्ता को किसी सांविधिक प्रावधानों के अधीन भुगतान करती है तो ऐसी राशि बीमाकृत व्यक्ति से वसूली के योग्य होगी।

9. पॉलिसी और अनुसूची को एक साथ एक संविदा के रूप में लिया जाएगा और कोई शब्द या अभिव्यक्ति जिसको कि अधिनियम में अपना उसके अधीन बताए गए नियम में कोई विशिष्ट अर्थ प्रदान किया गया है, उसका इस पॉलिसी में वहीं विशिष्ट अर्थ रहेगा।

10. पॉलिसी की शर्त, अनुबंध और अपवर्जन के अर्थ से संबंधित कोई भी विवाद विधि एवं व्यवहार के अनुसार तथा भारत में समक्ष न्यायाधिकार को न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

****

नोट :- अगर इस नीति के किसी भी शब्द या पैरा के कानूनी व्याख्या के बारे में कोई विवाद है तो अंग्रेजी संस्करण को सही और विधिमान्य होगा।

दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

प्रधान कार्यालय: ए-25/27, आसफ अली रोड, नई दिल्ली - 110002

जारीकर्ता
कार्यालय

दायित्व बीमा पॉलिसी

अनुसूची

(जन दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के अंतर्गत)

बीमाकर्ता	नाम: पता: जोखिम का विवरण:	पॉलिसी सं.
क्षेत्रीय सीमा :		भारत में कहीं भी
पॉलिसी अवधि	दिनांक .... के पूर्वाह्न/अपराह्न से दिनांक .... से 12.00 की मध्यरात्रि तक	
कुल प्रीमियम :		
क्षतिपूर्ति की सीमा	रू.. कोई एक दुर्घटना रू.......................................कुछ पॉलिसी अवधि के दौरान	
पर्यावरण सुरक्षा निधि में अंशदान रू.:		
प्रस्ताव की तारीख और घोषणा: जिसके साक्ष्य में कंपनी द्वारा प्राधिकृत तथा कंपनी की ओर से अधोहस्ताक्षरी ने .... में ....19........... को हस्ताक्षर किए।		
पॉलिसी जारीकर्ता कार्यालय का नाम .... प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता		